प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सिविल सं 879/2025

1 मेसर्स लैंडमार्क इंजीनियर, प्रोपराइटर श्री निशांत जैन पिता सुरेश चंद जैन के द्वारा, आयु 46 वर्ष, निवासी शांति नगर, रिंग रोड सं 2, निवासी–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---याचिकाकर्ता

बनाम

1 छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधन विभाग के सचिव के द्वारा, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

2 कलेक्टर जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

3 उप–निदेशक (खनन) जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(वाद कारण सी. आई. एस. से लिया गया)

याचिकाकर्ता हेतु :श्री सिद्धार्थ शुक्ला, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/राज्य: श्री संजीव पांडे, उप महाधिवक्ता

माननीय श्री बिभू दत्ता गुरु, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

16.04.2025

1. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें उप निदेशक (खनन) द्वारा दिनांक 27.01.2025 के संचार द्वारा उठाई गई आपत्ति को दरकिनार करते हुए उत्तरवादी संख्या 2 और 3 को खदान पट्टा प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को कलेक्टर से अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है क्योंकि संबंधित भूमि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवार की है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी क्रमांक 3/ उप निदेशक (खनन) द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 (इसके बाद से 'सीजीएलआरसी') के 165 (6) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए निर्देश जारी किया गया है कि भूमि स्वामीयो द्वारा सहमति पत्र को पंजीकृत कराया जाए और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 (6) (जिसे 27.01.2025 के संचार में गलत तरीके से 156 (6) के रूप में उल्लेख किया गया है) तथा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 168 के तहत उत्तरवादी क्रमांक 2 की अनुमति ली जाए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 (6) खदान पट्टे पर लागू नहीं होती है क्योंकि प्रावधान स्वयं स्पष्टीकरण के माध्यम से इसकी प्रयोज्यता को बाहर करता है जिसमें कहा गया है कि इस उप–धारा के उद्देश्य के लिए "अन्यथा" अभिव्यक्ति में पट्टा शामिल नहीं होगा।उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 168 वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने भूमि स्वामीयो की निजी भूमि को पट्टे पर नहीं लिया है जो खदान पट्टे का हिस्सा है और उसने केवल सीजी लघु खनिज नियम, 2015 के नियम 42 (2) (सी) के अनुसार विषय क्षेत्र पर खदान संचालन करने के लिए भूमि मालिकों की सहमति ली है।इसलिए, याचिकाकर्ता को धारा 165 (6) के तहत अनुमति लेने का निर्देश देने वाला आदेश पूरी तरह से अवैध है और आगे प्रार्थना करते है कि उत्तरवादीगण को उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 27.01.2025 के संचार द्वारा उठाई गई आपत्ति को दरकिनार करके खदान पट्टे का आदेश देने का निर्देश दिया जाए।

3. उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने सीजी लघु खनिज नियम, 2015 के नियम 42 (2) (सी) के अनुसार खदान संचालन करने के लिए भूमि मालिकों की सहमति और कलेक्टर से अनुमति का आदेश प्रस्तुत नहीं किया है।उन्होंने आगे कहा कि भूमि स्वामीयो से ली जाने वाली सहमति केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित भूमि मालिकों के हितों की रक्षा के लिए है तथा उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 27.01.2025 के संचार में कोई अवैधता नहीं है।

4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा तर्क तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

5. सुविधा के लिए, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के प्रावधानों को उद्धृत करना उचित होगा जो इस प्रकार है:–––

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

165. स्थानांतरण के अधिकारः---

1. XXX

2. XXX

3.XX X

4. XXX

5. XXX

6. उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी जनजाति के भूमिस्वामी का अधिकार, जिसे राज्य सरकार ने उस निमित्त अधिसूचना द्वारा आदिवासी जनजाति घोषित कर दिया है, उस संपूर्ण क्षेत्र या उसके भाग के लिए, जिस पर यह संहिता लागू होती है,–

(i) ऐसे क्षेत्रों में जो कि मुख्यतः आदिवासी जनजातियों द्वारा बसे हुए हैं और ऐसी तारीख से, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, न तो विक्रय द्वारा [या अन्यथा या ऋण या वसीयत के लेन–देन के परिणामस्वरूप] किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ऐसी जनजाति का न हो, हस्तांतरित किया जाएगा और न ही हस्तांतरणीय होगा;

(ii) खंड (i) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी राजस्व अधिकारी की, जो कलेक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, अनुमति के बिना, जो कारण लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी जनजाति का न हो, बिक्री द्वारा या अन्यथा या ऋण के लेन–देन के परिणामस्वरूप 1[या वसीयत (वसीयत)] हस्तांतरित नहीं की जाएगी या हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी 2[:]

[परंतु कि इस उपधारा के उपबंध भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का संख्या 30) के अधीन अर्जित भूमि पर लागू नहीं होंगे।स्पष्टीकरण :--- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अन्यथा" अभिव्यक्ति में पट्टा शामिल नहीं होगा।

6. स्पष्टीकरण का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अन्यथा" अभिव्यक्ति में पट्टा शामिल नहीं होगा।इसका अर्थ है कि खदान पट्टे के लिए, जैसा कि संबंधित है, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के प्रावधान लागू नहीं होंगे तथा कलेक्टर से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।जहां तक भूमि स्वामियों की सहमति का सवाल है, याचिकाकर्ता ने पहले ही भूमि स्वामीयो से ली गई सहमति को अनुलग्नक पी–1 के रूप में संलग्न कर दिया है।इसलिए, याचिकाकर्ता को सीजीएलआरसी की धारा 165 (6) के तहत कलेक्टर से अनुमति लेने का निर्देश देने वाला आदेश प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत है।

7. यह विधि का समान रूप से स्थापित प्रस्ताव है कि यदि किसी विशेष कार्य को करने का तरीका किसी विधि के तहत निर्धारित किया गया है, तो कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **मीरा साहनी बनाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और अन्य** में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया गया :

35. अब यह एक निश्चित विधि है कि किसी विधि द्वारा प्रदान की गई किसी विशेष तरीके से की जाने वाली कार्यवाही को निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए, किया जाना चाहिए या निष्पादित किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।इस संबंध में हम बाबू वर्गीस बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल में इस न्यायालय के निर्णय का उचित रूप से उल्लेख कर सकते हैं जिसमें यह माना गया था: (एससीसी पृ. 432–33, कंडिका 31–32)

"31. यह विधि का मूल सिद्धांत है जो लंबे समय से स्थापित है कि यदि किसी विशेष कार्य को करने का तरीका किसी क़ानून के तहत निर्धारित किया गया है, तो कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।इस नियम की उत्पत्ति टेलर बनाम टेलर के निर्णय से जुड़ी है, जिसका अनुसरण लॉर्ड रोश ने नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर के मामले में किया था, जिन्होंने निम्नलिखित कहा था: (आईए पृ. 381–82)'जहां किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी गई है, तो उस कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।'

32. इस नियम को इस न्यायालय द्वारा राव शिव बहादुर सिंह बनाम विन्ध्य प्रदेश राज्य और पुनः दीप चंद बनाम राजस्थान राज्य मामले में अनुमोदित किया गया है।इन मामलों पर इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह मामले में विचार किया और नजीर अहमद मामले में निर्धारित नियम को फिर से यथावत रखा गया। इस नियम को तब से न्यायालयों द्वारा अधिकारिता के प्रयोग पर लागू किया जाता है और इसे प्रशासनिक विधि के एक लाभकारी सिद्धांत के रूप में भी मान्यता दी गई है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा जारी दिनांक 27.01.2025 का संचार जिसमें याचिकाकर्ता को खदान पट्टे के आदेश के अनुदान के लिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के तहत अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है, उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि 'पट्टा' शब्द को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की धारा 165 (6) के प्रावधानों से अपवर्जित किया गया है।

10.जहां तक उत्तरवादी/राज्य के इस तर्क का सवाल है कि यह अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमि स्वामियों के हितों की रक्षा के लिए है,छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 88 के तहत भूमि की सतह पर कब्जा करने वालों को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खदान पट्टा या खदान अनुज्ञा–पत्र प्रदान करते समय सतह अधिकारों के स्वामियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान है, इसलिए उत्तरवादी द्वारा दिया गया तर्क भी याचिकाकर्ता को खदान पट्टा प्रदान करने के मार्ग में नहीं आएगी।

11. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उत्तरवादी संख्या 2 और 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे उप निदेशक (उत्तरवादी संख्या 3) द्वारा दिनांक 27.01.2025 के संचार में उठाई गई आपत्ति पर जोर दिए बिना

याचिकाकर्ता के पक्ष में खदान पट्टे के आदेश देने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तिथि से 40 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक कदम और निर्णय लें।

12. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त विस्तार तक स्वीकृति दी जाती है।

सही/–
(बिभू दत्त गुरु)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेड नोट:––

"यदि किसी विशेष कार्य को करने का तरीका किसी विधि के तहत निर्धारित है, तो कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur